Central Pulp & Paper Research Institute
DIRECTOR'S SECRETARIAT
Received on
02 JUL 2015
Saharanpur
(U.P.)

सेवा में

श्रीमान अपीलीयधिकारी/ निदेशक
सी०पी०पी०आर०आई०
सहारनपुर,

विषयः– सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचना को गलत, भ्रामक एवं असन्तोषजनक रुप में दिये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी महोदय से सूचना ठीक रुप में देने हेतू निवेदन।

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी ने उक्त नियमान्तर्गत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.15 के माध्यम से सूचनाधिकारी सी.पी.पी.आर.आई. सहारनपुर से यह सूचना मांगी थीः–

"संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी व सम्पदाधिकारी के बीच मकान सबलेटिंग से सम्बन्धित हुये पत्राचार (प्रशासनिक अधिकारी के पत्र व जवाब व सम्पदाधिकारी के पत्र व जवाब) की प्रति की प्रमाणित प्रतिलिपि" प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाये–देखें (संलग्नक–01) इसके लिये प्रार्थी नियमानुसार वाछिंत शुल्क की धनराशी नगद रु.10/जमा करा चूका है।

उक्त के सन्दर्भ में जनसूचनाधिकारी श्री बी.पी. थपलियाल द्वारा अपने पत्र सं.–सी.पी.पी.आर.आई./आर.टी.आई./205/2015 दिनांक मई3,2015 (दिनांक 3.6.15) के साथ संलग्नक के रुप में प्रेषित अनिल कुमार प्रशासनिक अधिकारी पत्रांक–सी.पी.पी.आर.आई./पी/एम/3/9/V Inter Office Note (ION) दिनांक 1.06.2015 के द्वारा जो सूचना दी गई है वह इस प्रकार हैः–

"सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 8(h) के अन्तर्गत वांछित सूचना, जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।" (देखें संलग्नक–02 व03)

महोदय

उक्त विषय में कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(h) (प्रतिलिपि संलग्नः संलग्नक–4) में यह व्यवस्था है कि "सूचना, जिसका खुलासा करने पर जाँच या अपराधियों को गिरफ्तार करने में या अभियोजन प्रकिया में बाधा आयेगी" उसे खुलासा (प्रकटीकरण) किये जाने से छूट होगी।" (देखें सलग्नक–4)

PIO/
APIO
MP Sharma
Discuss
Vimlesh Bsl
02/07/2015

ऐसी दशा में यह विचारणीय प्रश्न है कि प्रार्थी द्वारा वाछिंत सूचना में ऐसा कौन सा तथ्य है जिसे उक्त धारा 8(h) के अनुरुप "जाँच या अपराधियों को गिरफ्तार करने या अभियोजन प्रकिया में बाधा डालने वाला" माना जायेगा। अतः स्पष्ट छे कि यह धारा 8(h) इस प्रकरण में लागू नही होती।

इससे स्पष्ट है कि सूचनाधिकारी CPPRI ने जानबूझकर और भ्रमित करने की दृष्टि से प्रार्थी द्वारा वाछिंत सूचना को भ्रामक एवं गलत रुप में प्रेषित करके अपना पल्ला झाडते हुये केवल खानापूर्ति की है। सम्भव है कि उन्होंने संस्थान के किसी दोषी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने या बचाने की दृष्टि से ऐसा किया हो।

(उक्त के सम्बन्ध में वाछिंत सूचना से प्रार्थी का यह अभिप्राय है कि क्या संस्थान में विगत 5-6 वर्षो में किसी अधिकारी/कर्मचारी को आबन्टित आवासीय क्वार्टर उसके द्वारा किसी अन्य बाह्य व्यक्ति को किराये पर या किसी अन्य तरीके से लाभ लेते हुये निवास के लिये उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई लिखित पत्रचार/वार्तालाप उपर्युक्त दोनो अधिकारियों के स्तर पर हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी के लिये वाछिंत सूचना होगी)

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण पर आत्मीयता से विचार करके वाछिंत सूचना पूर्ण एवं वास्तविक रुप में अविलम्ब निम्नलिखित पते पर भिजवाने का कष्ट करें।

दिनांक-27.06.2015
संलग्नक-यथोक्त

प्रार्थी

(वीरेन्द्र कुमार)
एडवोकेट चैम्बर न.90
सिविल कोर्ट सहारनपुर

Virendra Kumar Sharma
90 Civil Court Saharanpur
Reg. No. 2783/1994

संलग्नक - 01 Speed Post

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
An autonomous organisation under the administrative control of Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
(Registered under Societies Act)

पत्रांक: सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./205/2015/13(i)/ 510 दिनांक: मई 3, 2015

श्री वीरेंद्र कुमार,एडवोकेट,
चैम्बर न.90,
सिविल कोर्ट
सहारनपुर-247 001

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त आवेदन दिनांकित 6.5.15 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांकित 6.5.15 का संदर्भ लें।

इस संबंध में संस्थान के संबन्धित विभाग से प्राप्त सूचना संलग्न की जाती है।

भवदीय,

विजय प्रकाश थपलियाल 3/6/15
(बी.पी.थपलियाल)
जन सूचना अधिकारी

संलग्न : यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

D:\New Data 08.05.2014\RTI\copy Emb...

सेवा में

श्रीमान अपीलीयधिकारी/ निदेशक
सी0पी0पी0आर0आई0
सहारनपुर,

विषयः- सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचना को अपूर्ण रुप में दिये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी महोदय से सूचना पूर्ण रुप में उपलब्ध कराने हेतू निवेदन।

महोदय

निवेदन है कि

संलग्नक - 02

CENTRAL PULP & PAPER RESEARCH INSTITUTE
SAHARANPUR

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/V/

Dated 1.6.2015

ION

With reference to your ION No.CPPRI/RTI/205/2015/13(i) dated 7.5.2015 forwarding therewith an RTI application of Shri Virendra Kukmar, Advocate, Chamber No. 90-, Civil Court, Saharanpur. In this connection, the information is being provided hereunder:-

"सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 8(h) के अन्तर्गत वांछित सूचना, जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।"

(अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

Dr.B.P.Thapliyal
Public Information Officer
CPPRI, SRE

संलग्नक – 03

सेवा में

श्रीमान सूचनाधिकारी
सी0पी0पी0आर0आई0
सहारनपुर,

विषयः– सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत अपेक्षित सूचना दिये जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार निम्नलिखित सूचनाओं की नितान्त आवश्यकता हैः–

सस्थांन के प्रशासनिक अधिकारी व संपदा अधिकारी के बीच मकान सबलेटिग सें सम्बन्धित हुए पत्राचार (प्रशासनिक अधिकारी के पत्र व जवाब व संपदा अधिकारी के पत्र व जवाब) की प्रति की प्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रार्थी उक्त सूचनाओं की प्राप्ती हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क 10/– रुपये प्रार्थना पत्र के साथ नगद जमा कर रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो और भी नियमित शुल्क जमा करा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

अतः कृपया उपर्युक्त वाछिंत सूचना प्रार्थी के निम्नांकित पते पर अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

दिनांक 06.05.2015

प्रार्थी

(विरेन्द्र कुमार)

एडवोकेट

चैम्बर न0 90 सिविल कोर्ट सहारनपुर

संलग्नक-04(II)

(क) सूचना, जिसका खुलासा करने से भारतवर्ष की अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित, विदेशो से सम्बन्ध पर विपरीत प्रभाव पडता हो या किसी अपराध कारित करने की प्रेरणा मिलती हो;

(ख) सूचना, जिसका खुलासा करने पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से मनाही हो या उससे न्यायालय की अवमानना होती हो,

(ग) सूचना, जिसके खुलासा किये जाने से संसद या राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार भंग होते हो ,

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, कारोबारी, गोपनीयता या बौद्धिक सम्पत्ति शामिल है, जिसके खुलासा किये जाने से तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को हानि होती हो, यदि जन प्राधिकारी को यह इतमिनान नही हो जाता है कि ऐसी सूचना का खुलासा विस्तृत जनहित मे जरूरी है।

(ङ) यदि जन सूचना अधिकारी को यह इतमिनान नही हो जाता है कि ऐसी सूचना विस्तृत जनहित में जरूरी है तब किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी से सम्बिन्धित सूचना।

(च) किसी विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में उपलब्ध करायी सूचना।

(छ) ऐसी सूचना, जिसका खुलासा करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए या सूचना के शारीरिक सुरक्षा के लिए या सूचना के सोत्रो के जानने में या विश्वास से दी गयी मदद अथवा सुरक्षा हेतु खतरा हो,

(ज) सूचना, जिसका खुलासा करने पर जाँच या अपराधियों को गिरफ्तार करने में या अभियोजन प्रक्रिया में बाधा आयेगी।

(झ) मंत्रिमण्डल के प्रपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद के सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के बैठकों से सम्बिन्धित दस्तावेज शामिल है।

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों, उनके कारार, वह आधार जिस पर निर्णय किये गये है, निर्णय पारित करने और विषय को पूर्ण करने या समाप्त करने के बाद नागरिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

परन्तु यह कि वे विषयो का, जो इस धारा में अंकित छूटो के अर्न्तगत आते है, खुलासा नही किया जायेगा।

(ञ) यदि जैसा हो, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी को यह इतमिनान नही हो जाते है कि ऐसी सूचना का खुलासा विस्तृत जन हित से न्योयोचित्त है तब व्यक्तिगत सूचना जिसके खुलासे से जो किसी जन क्रिया या जन कल्याण से सम्बन्धित है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता का गैर जरूरी–उल्लंधन होता हो

परन्तु यह कि ऐसा सूचना से, जिसको संसद या किसी राज्य विधान मण्डल को

(ख) निर्धारित शुल्क की धनराशि या उपलब्ध कराये गये सम्पर्क के प्रारूप के बारे में जिसके अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी की सीमायें, समयावधि, प्रक्रिया एवं अन्य विधियाँ भी है, निर्णय के पुनर्विलोकन के बारे में, उसके अधिकार से सम्बद्ध सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहाँ इस अधिनियम के तहत दस्तावेजों अथवा इसके किसी भाग तक सम्पर्क की आवश्यकता है और ऐसा व्यक्ति जो संवेदात्मक रूप से असमर्थ है जिसको यह उपलब्ध करायी गयी है, वहाँ जैसा हो, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी निरीक्षण हेतु सहायता कराने के साथ-साथ सूचना तक सम्पर्क को सुगम बनाने हेतु मदद करेगा।

(5) जहाँ सूचना तक सम्पर्क छपाई या किसी-इलेक्ट्रानिक प्ररूप में उपलब्ध करानी है वहाँ आवेदक उपधारा (6) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा।

परंतु यह कि धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (10) और उपधारा (1) और उपधारा (5) के तहत निर्धारित शुल्क समुचित होगी तथा गरीबी की रेखा के नीचे रखने वाले व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा जैसा कि सक्षम सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी।

(6) उपधारा (5) के प्राविधानों के अलावा, जहाँ कोई जन-प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट समयावधि का पालन में सफल नहीं रहता है, वहाँ सूचना हेतु निवेदन करने वाले व्यक्ति को बगैर-किसी शुल्क के सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) जैसा हो, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी उपधारा (1) के तहत निर्णय लेने के पूर्व, धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष के प्रत्यावेदन को भी दृष्टिगत रखेगा।

(8) जहाँ, उपधारा (2) के तहत किसी निवेदन को नामंजूर समझा गया है, वहाँ जन सूचना अधिकारी, सूचना का निवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्न सूचनायें देगा।

(i) ऐसी नामंजूरी का कारण,

(ii) वह समयावधि, जिसके अन्दर ऐसी नामंजूरी के खिलाफ अपील की जा सकेगी।

(iii) अपीलीय अधिकारी की सीमाये।

(9) साधारणतया किसी सूचना को, जिस रूप में माँगा गया है, उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जायेगा जब तक कि यह जन प्राधिकारी के संशोधनों को अनुपातिक रूप से निम्न न करता हो या प्रश्नगत दस्तावेज की सुरक्षा या संरक्षण के विपरीत न हो।

8. सूचना का खुलासा किये जाने से छूट –(1) इस अधिनियम के प्राविधानों के सिवाय, इसमें अन्य प्राविधानो के अतिरिक्त, निम्न लिखित सूचना का खुलासा किये जाने से छूट होगी–

the period of thirty days referred to in that sub-section.:

(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time-limit, process and any other forms.

(4) Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.

(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed :

Provided that the fee prescribed under sub-section (1) of Section 6 and sub-sections (1) and (5) of Section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time-limits specified in sub-section (1).

(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under Section 11.

(8) Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request,—

(i) the reasons for such rejection;

(*ii*) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(*iii*) the particulars of the appellate authority.

(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.

8. Exemption from disclosure of information.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,—

(*a*) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(*b*) information which has been expressly forbidden to be published by any Court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of Court;

(*c*) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(*e*) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(*f*) information received in confidence from foreign Government;

(*g*) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(*h*) information which would impede the process of investigation or apprehension, or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(*j*) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information :

Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament